

न्यायालय:-सिद्धार्थ तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर

(म0प्र0)

सी0आई0एस0नं0-234801001612013

दांडिक प्रकरण क्रमांक-933 / 2013

संस्थित दिनांक-19.11.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अनूपपुर जिला अनूपपुर (म0प्र0)

----- अभियोजन

-:: वि रू द्ध ::-

1. श्रीमती विमला बाई पाव पति रतन सिंह पाव उम्र 25 वर्ष निवासी-
कोलमी थाना कोतवाली- अनूपपुर (म0प्र0)

----- अभियुक्तगण

राज्य की ओर से ए.डी.पी.ओ. सुश्री शशि धुर्वे

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश शुक्ला

-:: नि र्ण य ::-

(आज दिनांक- 26.10.2016 को घोषित)

01. अभियुक्त विमला के विरुद्ध धारा 294, 323 एवं 324 भा0द0सं0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 31.10.11 को समय 12 बजे ग्राम कोलमी फरियादी के घर के सामने रास्ते में अश्लील गाली उच्चारित कर फरियादिया पुनमसिया बाई एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं एक सख्त एवं भोथरे तथा सख्त एवं धारदार हथियार से फरियादिया को चोट पहुंचाकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की।
02. प्रकरण के अंतर्गत उल्लेखनीय निर्विवादित स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।
03. अभियोजन कथा संक्षेप में निम्नानुसार है-प्रकरण के अंतर्गत दिनांक 31.10.15 को समय लगभग 12 बजे फरियादिया के गांव का तोमल कोल अपने मवेशी लेकर अपने घर जा रहा था तब उसके मवेशी दीवाल के छपना को खूदने लगे तब फरियादिया ने उसे कहा कि छपना के उपर मवेशी चढ़ रहें हैं तो अभियुक्त विमला ने कहा कि छपना के उपर मवेशी कहां चढ़े हैं और अश्लील गालियां देते हुए अपने घर से टांगी लेकर आई और कहने लगी कि खपट दूंगी तथा फरियादिया के सिर के दाहिनी तरफ और दाहिने पैर की पींडली में टांगी के धार की तरफ से मारा जिससे सूजनदार चोट पहुंचकर खून निकल आया तथा बाएं पैर की कटोरी के पास भी खरोंच आ गई इस दौरान तोमल एवं बिहारी तथा बिहारी की पत्नी एवं बच्चों ने बीचबचाव किया।
04. प्रकरण में फरियादी के द्वारा आरक्षी केंद्र अनूपपुर पर दिनांक 31.10.13 को घटना के संबंध में सूचना दी गई जिस पर से अभियुक्त विमला बाई के विरुद्ध धारा 294 एवं 324 भा0द0सं0 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं फरियादिया

पुनमसिया बाई का मेडिकल परीक्षण कराया गया एवं दिनांक 02.11.13 को घटनास्थल पर जाकर नक्शा मौका तैयार किया गया एवं फरियादिया तथा साक्षी बिसाहू लाल, मूलचंद, बिहारीलाल, रामलली, लल्ला उर्फ तोमल, गणपत सिंह के पुलिस कथन लेखबद्ध किए गए तथा इसी दिनांक को अभियुक्त विमला बाई के अधिपत्य से एक टांगी जप्त कर जप्तीपंचनामा तैयार किया गया और अभियुक्त विमला बाई को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

05. प्रकरण के अंतर्गत मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323 एवं 324 भा0द0सं0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के प्रथम दृष्टया आधार परिलक्षित होने पर उपरोक्त वर्णित धाराओं के अंतर्गत आरोप विरचित कर अभियुक्त विमला बाई को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिस पर से अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार विचारण की मांग की तथा धारा 313 द0प्र0सं0 के अंतर्गत स्वयं को निर्दोष होना वर्णित कर झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नांकित प्रश्न विचारणीय है—

01. क्या दिनांक 31.10.13 को समय दिन के 12 बजे ग्राम कोलमी फरियादिया के घर के सामने रास्ते में अभियुक्त विमला ने फरियादिया के प्रति अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?

02. क्या उपरोक्त वर्णित घटनास्थल दिनांक एवं समय पर अभियुक्त ने फरियादिया की एक सख्त एवं भोथरे हथियार एवं सख्त एवं धारदार हथियार टांगी से मारपीट कर फरियादिया को स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की?

06. प्रकरण के अंतर्गत अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादिया पुनमसिया अ0सा0 1, बिसाहू लाल अ0सा0 , रामस्वरूप अ0सा0 3, रामलली अ0सा0 4, बिहारी लाल अ0सा0 5, लल्ला उर्फ तोमल अ0सा0 6, गणपत सिंह अ0सा0 7, चिकित्सीय साक्षी डॉ0 आर0पी0सोनी अ0सा0 10 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक पी0डी0 अंधमान अ0सा0 8, एवं विवेचना अधिकारी प्र0आ0 जगत बहादुर अ0सा0 11 को परीक्षित कराया गया एवं अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया।

//सकारण निष्कर्ष //

// विचारणीय प्रश्न कं0 1 व 2 //

07. प्रकरण के अंतर्गत अवधारित किये गये विचारणीय प्रश्नों के अनुक्रम में सर्वप्रथम यह अभिनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि क्या उपरोक्त वर्णित घटनास्थल, दिनांक एवं समय पर अभियुक्त विमला ने एक टांगी का एक सख्त एवं धारदार तथा सख्त एवं भोथरे हथियार के तौर पर प्रयोग कर फरियादिया की मारपीट की थी?

08. फरियादिया पुनमसिया अ0सा0 1 ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान अभियुक्त की पहचान स्थापित करते हुए व्यक्त किया है कि परीक्षण से लगभग 1 वर्ष पूर्व कार्तिक के महीने में दिन के लगभग 11-12 बजे वह अपने घर पर थी तब उसने अभियुक्त से मजाक में कह दिया कि वह उससे बातचीत नहीं करेगी, इसी बात पर अभियुक्त ने टांगियां से उसके सिर में और पैर में मार दिया था तथा उसके सोने का लाकिट ले लिया था। इस साक्षी के दौरान अभियोजन कथा का पर्याप्त अनुसमर्थन नहीं किये जाने के कारण उसे अभियोजन की ओर से प्रतिपरीक्षण सदृश्य सुझाव दिये जाने पर साक्षी ने उक्त घटना के समय तोमल के मवेशियों के द्वारा उसकी छपाई को खराब करने पर उसे डांटने पर, अभियुक्त विमला द्वारा उसे गाली देना समझने तथा अपने घर से टांगियां लाकर उसके सिर में एवं हाथ पैर में और गर्दन में मार कर चोट पहुंचाए जाने के सुझाव को स्वीकार किया है तथा घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 लेखबद्ध कराया जाना

बताया है और पुलिस द्वारा उसकी निशानदेही पर ही नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 तैयार करना अभिव्यक्त किया है।

09. प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराए गए समर्थन साक्षी बिसाहू लाल अ0सा0 2 ने अपने परीक्षण के दौरान बताया है कि अभियुक्त उसके घर के पास रहती है तथा घटना की समयावधि के संबंध में फरियादिया की आंशिक पुष्टि करते हुए व्यक्त किया है कि घटना के समय वह गाड़ी में काम कर रहा था तब उसे उसकी पत्नी की घर से आवाज आई थी जिसके बाद वह घर आया था तो उसने देखा था कि अभियुक्त विमला उसकी पत्नी के उपर चढ़कर टंगियां से मार रही थी।

10. प्रकरण में अन्य समर्थन साक्षी रामलली अ0सा0 4 ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान अभियुक्त एवं फरियादिया की पहचान अवश्य स्थापित की है लेकिन घटना के संबंध में कोई जानकारी न होना व्यक्त किया है तथा प्रतिपरीक्षण सदृश्य सुझाव को भी अस्वीकार किया है, तथा इसी प्रकार से बिहारी लाल अ0सा0 5 ने भी अपने मुख्य परीक्षण काल में अभियोजन कथा की पुष्टि नहीं की है।

11. लल्ला उर्फ तोमल अ0सा0 6 ने मुख्य परीक्षण के दौरान अभियोजन कथा का अनुसमर्थन नहीं किया है अपितु स्वयं को घर पर न होना बताया है और न ही घटना देखना वर्णित किया है लेकिन प्रतिपरीक्षण सदृश्य सुझाव दिये जाने पर घटना के संबंध में फरियादिया पुनमसिया अ0सा0 1 की साक्ष्य की आंशिक पुष्टि की है तथा गणपत सिंह अ0सा0 7 ने यह बताया है कि वह घटना के समय ग्राम में कुएं पर नहाने गया था तब उसने अपनी मां अर्थात् फरियादिया की चिल्लाने की आवाज सुनी थी तथा दौड़ कर आने पर अभियुक्त विमला को टांगी से फरियादिया को मारते हुए देखा था और यह भी व्यक्त किया है कि तभी उसके पिता बिसाहू लाल भी आ गए थे।

12. प्रकरण में सहा0उप0नि0 पी0डी0 अंधमान अ0सा0 8 ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान दिनांक 31.10.13 को कोतवाली अनूपपुर में पदस्थापना के समय फरियादिया पुनमसिया अ0सा0 1 के द्वारा अपने पुत्र एवं पति तथा मूलचंद के साथ थाने पर आकर रिपोर्ट किए जाने पर अभियुक्त विमला के विरुद्ध अपराध क्रं0 313/13 अतर्गत धारा 294 एवं 324 भा0द0सं0 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 लेखबद्ध करना बताया है और उक्त रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर भी प्रमाणित किए हैं।

13. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि फरियादिया ने पूर्व रंजिश के कारण झूठी रिपोर्ट लिखाई है तथा किसी भी साक्षी के द्वारा पर्याप्त: फरियादिया की साक्ष्य का अनुसमर्थन नहीं किया है एवं स्वयं फरियादिया ने भी अभियोजन की ओर से प्रतिपरीक्षण सदृश्य सुझाव दिये जाने पर भी घटना की पुष्टि की तथा अतिरंजित साक्ष्य का प्रस्तुतीकरण भी किया है जिससे अभियोजन कथा पर विश्वास किया जाना संभव नहीं है।

14. फरियादिया पुनमसिया अ0सा0 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अभियुक्त विमला से कोई पुराना झगडा न होना व्यक्त किया है तथा अभियुक्त विमला के द्वारा उसे टंगियां से नहीं मारे जाने के सुझाव को स्पष्ट: अस्वीकार किया है।

15. फरियादिया के मुख्य परीक्षण के दौरान उसके सोने का लाकिट ले लिये जाने का कथन अवश्य किया गया है उक्त कथन अभियोजन कथा से भिन्न है लेकिन इसी तारतम्य में यह भी देखा जाना आवश्यक है कि फरियादिया एक ग्रामीण महिला है और घटना के संबंध में अपनी साक्ष्य को अधिक प्रमाणिक तौर पर प्रस्तुत किये जाने की मंशा के कारण वास्तविक घटना से कुछ अधिक तथ्यों का वर्णन किया जाना मात्र ही उसकी साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं बनाता है।

16. फरियादिया के पति बिसाहू अ0सा0 2 ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान घटना के प्रत्यक्ष साक्षी के तौर पर साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं लेकिन अभियोजन की ओर से दिये गये सुझाव के आधार पर यह प्रकट हो रहा है कि वह घटना का प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है एवं इस

तथ्य को उसने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वीकार भी किया है तथा फरियादिया के पुत्र गनपत अ०सा० 7 एवं तोमल अ०सा० 6 ने भी घटना के संबंध अभियोजन के सुझाव उपरांत अभिपुष्टि की है।

17. प्रकरण में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इसी अनुक्रम में अपने तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि सभी साक्षीगण अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये गए हैं, ऐसी स्थिति में उनकी साक्ष्य पर विश्वास किया जाना उचित नहीं है।

18. अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किए गए उपरोक्त तर्क के अनुक्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ यू०पी० विरूद्ध चेताराम ए०आई०आर० 1989 एस०सी० 1543 में प्रतिपादित किया गया है कि गवाह को पक्षविरोधी घोषित किये जाने के आधार पर ही उसकी पूरी साक्ष्य निरर्थक नहीं हो जाती है एवं इसी प्रकार का विधिक अभिमत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी विरूद्ध स्टेट ऑफ एम०पी० ए०आई०आर० 1991 एस०सी० 1853 में भी प्रतिपादित किया गया है।

19. इस प्रकरण में फरियादिया एवं अन्य समर्थन साक्षी तोमल अ०सा० 6 के द्वारा भले ही मुख्य परीक्षण के अंतर्गत घटना की स्पष्ट पुष्टि नहीं की गई लेकिन अभियोजन के सुझाव को स्पष्टतः स्वीकार किया है और ऐसी स्वीकारोक्ति पर कोई संशय प्रकट नहीं हुआ है।

20. लल्ला उर्फ तोमल अ०सा० 6 के द्वारा घटना दिनांक को फरियादिया के द्वारा अपने घर के दरवाजे के सामने छपाई किया जाना और उक्त छपाई को मवेशियों द्वारा खूंदने के कारण उसके द्वारा हल्ला करने के तथ्य की स्पष्ट स्वीकारोक्ति की है, इस स्वीकारोक्ति के संबंध में अभियुक्त की ओर से कोई प्रतिपरीक्षण साक्षी पर नहीं किया गया है जबकि उक्त तथ्य प्राथमिकी के अनुसार घटना के घटित होने का एक मुख्य कारक है और इसी आधार पर तोमल अ०सा० 6 की साक्ष्य उक्त संबंध में सुसंगत एवं अनुज्ञेय है।

21. फरियादिया पुनर्समिया अ०सा० 1 की साक्ष्य के दौरान प्रतिपरीक्षण काल में घटना के संबंध में उसके द्वारा अभियोजन के समर्थन में की गई अभिव्यक्ति अखण्डित रही है और किसी भी प्रकार से उक्त साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई आधार प्रदर्शित नहीं हुआ है।

22. गनपत अ०सा० 7 के प्रतिपरीक्षण के दौरान भी कोई संशयात्मक तथ्य अथवा संदेहास्पद परिस्थिति प्रकट नहीं हुई है इस कारण से उक्त साक्षी पर अविश्वास किए जाने का भी कोई आधार नहीं है।

24. प्रकरण में विवेचना अधिकारी प्र०आ० जगत बहादुर अ०सा० 11 ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान इस प्रकरण की विवेचना के अनुक्रम में घटनास्थल पर नक्शा मौका फरियादिया के बताए अनुसार तैयार किए जाने के संबंध में, फरियादिया की साक्ष्य की पुष्टि की है तथा इसी क्रम में अन्वेषण के दौरान फरियादिया एवं अन्य साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किया जाना व्यक्त किया है तथा अभियुक्त विमला को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 4 तैयार करने के उपरांत अभियुक्त विमला से प्रकरण में प्रयुक्त टांगी जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार करना वर्णित किया है।

25. विवेचना अधिकारी के प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त प्रदर्श पी 3 जप्ती पंचनामों पर उसके द्वारा मात्र हस्ताक्षर की जाने की अभिव्यक्ति की है लेकिन उक्त दस्तावेज मात्र इसी आधार पर अविश्वसनीय नहीं हो जाता अपितु प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना में प्रयुक्त हथियार की जप्ती इस साक्षी की साक्ष्य से प्रमाणित हो रही है और उक्त जप्ती घटना के संबंध में एकत्रित की गई एक अत्यंत महात्वपूर्ण साक्ष्य की विषय वस्तु है तथा उक्त जप्ती के कारण सम्पूर्ण अभियोजन कथा की विश्वसनीयता को बल प्राप्त हो रहा है।

26. प्रकरण के अंतर्गत उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तो प्रकट हो रहा है

कि अभियुक्त विमला के द्वारा टंगिया का प्रयोग करते हुए फरियादिया पुनवसिया अ०सा० 1 को चोट पहुंचाए जाने का तथ्य स्थापित हो रहा है, लेकिन उक्त टंगिया की प्रकृति और उक्त मारपीट के अनुक्रम में पहुंची हुई चोट के आधार पर उपहति कारित होने के तथ्य के अभिनिर्धारण हेतु प्रकरण में चिकित्सकीय साक्षी की साक्ष्य का अवलोकन किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है।

27. डॉ० आर०पी०सोनी अ०सा० 10 ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान बताया कि दिनांक 31.10.13 को जिला चिकित्सालय अनूपपुर में वह चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को उनके द्वारा इस प्रकरण में आहत पुनमसिया का मेडिकल परीक्षण किया था एवं मेडिकल परीक्षण के दौरान निम्नानुसार चोटें पायी थी :-

चोट क्रमांक 01 :- एक माथे के उपर कटा हुआ घाव जिसका आकार 1/2 गुणा 1/8 सेंमी. था।

चोट क्रमांक 02 :- एक दाहिने घुटने पर छीलनदार चोट जिसका आकार 2.5 गुणा 1/2 सेंमी. था।

चोट क्रमांक 03 :- एक दाहिने पैर के उपरी हिस्से पर कटा हुआ घाव जिसका आकार 1/2 गुणा 1/4 गुणा 1/8 सेंमी था।

चोट क्रमांक 04 :- दाहिने पैर के बीचोंबीच सूजनदार चोट थी।

28. इस साक्षी ने परीक्षण के दौरान यह भी बताया कि उक्त चोट क्र० 01 व 03 शार्प ऑब्जेक्ट से पहुंचाई गई थी एवं चोट क्र० 02 व 04 सख्त एवं भोथरे हथियार के द्वारा पहुंचाई गई थी तथा उक्त चोटों साधारण प्रकृति की होकर परीक्षण से 24 घण्टे के अंदर की थी। इसी क्रम में साक्षी ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 पर अपने हस्ताक्षर भी प्रमाणित किये हैं।

29. इस साक्षी से प्रतिपरीक्षण के दौरान सुझाव दिये जाने पर, साक्षी ने किसी व्यक्ति के धारदार पत्थर या कांच के टुकड़े पर गिर जाने पर ऐसी चोट सम्भावित बताया है, परंतु अभियुक्त की ओर से इस संबंध में कोई ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिसके आधार पर यह प्रकट हो कि उक्त फरियादिया को पहुंची हुई चोटें किसी धारदार हथियार पर गिरने से संभावित थी, अपितु अभियुक्त विमला के द्वारा टंगिया का प्रयोग करते हुए फरियादिया पर प्रहार किये जाने का कृत्य स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है तथा उक्त परिस्थिति में एकमात्र यही निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त विमला के द्वारा टंगिया का एक सख्त एवं भोथरे हथियार एवं एक सख्त एवं धारदार हथियार दोनों के तौर पर प्रयोग करते हुए फरियादिया पुनमसिया अ०सा० 1 को माथे एवं दाहिने पैर पर चोट पहुंचाई थी जिसके परिणामस्वरूप धारदार हथियार की प्रकृति का कटा हुआ घाव कारित हुआ था और दाहिने घुटने और पैर में छीलनदार व सूजनदार चोट पहुंचाई थी जिससे सख्त एवं भोथरे हथियार से कारित होने वाली चोट की प्रकृति की चोट पहुंची थी।

30. प्रकरण के अंतर्गत उक्त विवेचन के अनुक्रम में यह स्पष्टतः प्रकट हो रहा है कि उपरोक्त वर्णित घटनास्थल दिनांक एवं समय पर अभियुक्त विमला के द्वारा टंगिया का एक सख्त एवं धारदार हथियार एवं एक सख्त एवं भोथरे हथियार के तौर पर प्रयोग करते हुए फरियादिया पुनमसिया अ०सा० 1 को स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की थी।

31. प्रकरण के अंतर्गत अब इसी क्रम में अभिनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि क्या उपरोक्त वर्णित घटनास्थल दिनांक व समय पर विमला ने फरियादिया को मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे एवं सुनने वालों को क्षोभ कारित किया था?

32. इस संबंध में फरियादिया पुनमसिया ने अभियोजन की ओर से प्रतिपरीक्षण सदृश्य सुझाव दिये जाने पर अभियुक्त द्वारा उसे गालियां दिये जाने के सुझाव को स्वीकार किया है तथा अन्य साक्षी बिसाहू लाल अ०सा० 2 एवं गनपत अ०सा० 7 ने अपने परीक्षण के दौरान इस संबंध में फरियादिया का अनुसमर्थन किया है लेकिन शेष साक्षीगण के द्वारा अनुसमर्थनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

33. प्रकरण के अंतर्गत बिसाहू अ0सा0 2 घटना का प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किया गया अनुसमर्थन बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है एवं फरियादिया पुनमसिया अ0सा0 1 ने गालियों की प्रकृति का उल्लेख नहीं किया है एवं यह भी विचारणीय है कि घटना के समय फरियादिया पुनमसिया के साथ विवाद होने का तथ्य अभिलेख पर स्पष्टतः प्रकट हुआ है और ऐसे विवाद के कारण ही उक्त गालियां उच्चारित किया जाना प्रकट हो रहा है।

34. प्रकरण के अंतर्गत इसी तारतम्य में यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 294 भा0द0सं0 के अंतर्गत आरोप प्रमाणन के लिए यह प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है कि कथाकथित अश्लील शब्द के उच्चारण से किसी एक व्यक्ति को नहीं, अपितु सामान्यजन को क्षोभ कारित हो, लेकिन इस प्रकरण में ऐसी परिस्थिति प्रदर्शित नहीं हो रही है अपितु अभियुक्त विमला का फरियादिया पुनमसिया के साथ प्रत्यक्ष विवाद होना प्रदर्शित हुआ है और ऐसी स्थिति में विवाद के कारण, अभियुक्त विमला के द्वारा दी गई गालियां सामान्यजन के लिए क्षोभ कारक नहीं है अपितु इस प्रकार की गालियां सामान्य तौर पर दो पक्षों के मध्य विवाद होने पर उच्चारित होती है।

35. प्रकरण के अंतर्गत उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के अनुक्रम में प्रतिवादित किए गए निष्कर्ष के अनुसार अभियोजन उपरोक्त वर्णित घटनास्थल दिनांक एवं समय पर अभियुक्त विमला के द्वारा फरियादिया को मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित करने के दोषारोप को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं रही है अतः उक्त आधार पर अभियुक्त विमला हस्तगत प्रकरण में धारा 294 भा0द0सं0 के अंतर्गत दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

36. प्रकरण में अभियोजन उपरोक्त वर्णित घटनास्थल दिनांक एवं समय पर अभियुक्त विमला के द्वारा टांगी से सख्त एवं भोथरे हथियार के एवं एक सख्त एवं धारदार हथियार के तौर पर चोट कर फरियादिया को स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किए जाने के दोषारोप को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रही है। अतः उक्त आधार पर अभियुक्त विमला को हस्तगत प्रकरण एवं धारा 323 एवं 324 भा0द0सं0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

37. प्रकरण में अभियुक्त विमला के द्वारा जिस प्रकार से एक खतरनाक हथियार का प्रयोग कर मारपीट की है वह और भी अधिक घातक परिणाम दे सकता था, अतः उक्त परिस्थिति में अभियुक्त विमला को परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत परिवीक्षा का लाभ प्रदाय किया जाना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है।

38. प्रकरण दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु थोड़ी देर पश्चात पुनः पेश हो।

(सिद्धार्थ तिवारी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

अनूपपुर (म0प्र0)

39. दोषसिद्ध अभियुक्त विमला की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के दौरान वर्णित किया कि अभियुक्त विमला एक महिला है तथा उसका कोई पूर्व अपराधिक रिकार्ड नहीं है एवं उसे कारावास से दण्डित किये जाने की दशा में, उसके परिजनों की देखभाल करने वाला कोई अन्य नहीं है अतः उक्त आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त विमला को मात्र अर्थदण्ड से ही दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया है।

40. प्रकरण के अंतर्गत अभियुक्त विमला के द्वारा टंगिया का प्रयोग करते हुए फरियादिया के सिर में प्रहार किया है और उक्त प्रहार के कारण फरियादिया के मस्तिष्क के फ्रन्टल भाग पर एक कटा हुआ घाव पहुंचा था, अर्थात् यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने

फरियादिया के एक संवेदनशील भाग पर एक धारदार हथियार से प्रहार किया था और उक्त परिस्थिति में यह उपधारित करने के पर्याप्त आधार है कि उक्त धारदार हथियार से सिर में चोट पहुंचाए जाने के कारण फरियादिया को पहुंची हुई चोट, से और अधिक गंभीर प्रकृति की चोट पहुंचने की न केवल सम्भावना थी अपितु ऐसी सम्भावना का अभियुक्त विमला को पूर्ण ज्ञान भी था। अतः ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त का उक्त कृत्य किसी भी प्रकार से एक अत्यंत साधारण अपराध के तौर पर नहीं माना जा सकता अपितु यदि इस प्रकार से सिर में चोट पहुंचाने के बाद भी अभियुक्त को पर्याप्त दण्डित नहीं किया तो यह न्याय के उद्देश्यों के विपरीत होगा और फरियादिया जो कि इस प्रकरण में एक पीडित व्यक्ति की श्रेणी में है, के साथ अन्याय को भी प्रदर्शित करेगा।

41. अतः उक्त आधार पर अभियुक्त विमला को हस्तगत प्रकरण में धारा 323 भा0द0सं0 के अंतर्गत 3 माह के सश्रम कारावास एवं 500/-रु0 अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा किये जाने में व्यतिक्रम किये जाने पर 7 दिवस के सश्रम कारावास तथा धारा 324 भा0द0सं0 के अंतर्गत 6 माह सश्रम कारावास एवं 500/-रु0 अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा किये जाने में व्यतिक्रम करने पर 7 दिवस के सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है।

42. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सुरेश विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा (2015) 2 एस0सी0सी0 227** में प्रतिपादित न्यायदृष्टांत एवं धारा 357 उपधारा 1 खंड ब के अनुक्रम में निर्देशित किया जाता है कि अपील अवधि अवसान पश्चात् प्रकरण में दोषसिद्ध अभियुक्त विमला द्वारा जमा करायी गयी अर्थदण्ड राशि में से 500/-रुपये (पांच सौ रुपये) प्रतिकर स्वरूप आहत/फरियादी पुनर्मसिया को प्रदाय की जावे।

43. प्रकरण में दोषसिद्ध अभियुक्त विमला की निरोध अवधि निरंक है, इस संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 के अंतर्गत प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

44. प्रकरण के अंतर्गत जप्तशुदा संपत्ति एक टांगी मूल्यहीन होने से अपील अवधि अवसान पश्चात् नष्ट की जावे अन्यथा माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

45. दोषसिद्ध अभियुक्त विमला को धारा 363 द0प्र0स0 के अंतर्गत निर्णय की निःशुल्क प्रति तत्काल प्रदान की जावे।

46. प्रकरण में दोषसिद्ध अभियुक्त विमला के पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त घोषित किये जाते हैं।

47. प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख नियत अवधि में अभिलेखागार में जमा हो।

दिनांक-26.10.2016

स्थान-जिला न्यायालय अनूपपुर

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया।

(सिद्धार्थ तिवारी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
अनूपपुर (म0प्र0)

(सिद्धार्थ तिवारी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
अनूपपुर (म0प्र0)